खंड ३ संख्या ३

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि २२ जनवरी, १९६८

सत्यमेव जयते

श्री एस० एन० चटर्जी अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय
द्वारा सचिवालय शाखा मुद्रणालय बिहार पटना में मुद्रित
१९६९

[मूल्य—३७ पैसे]

अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी जिसमें कलकुलेशन की बात हो, उसकी तारीख या मील, जो भी नाप की बात आयेगी, दोनों को ही श्रेय देना होगा जिससे आप खुद अनुमान लगा सकें कि कितना समय लगेगा। ६ महीना, आपका कलकुलेशन है। माननीय सदस्यों को किस समय वह प्राप्त हुआ, किस समय भेजा गया, दोनों ही तिथि देंगे तो नाप से वे अनुमान लगा सकेंगे। आगे से आप यह ध्यान रखेंगे।

होमगार्ड की ट्रेनिंग में अनियमितता।

१५। श्री विनोद बिहारी सिन्हा—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि प्रति वर्ष अरबन होमगार्ड के सदस्य नागपुर प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं।

(२) क्या यह बात सही है कि प्रति वर्ष पटना अरबन होमगार्ड के एक ही यूनिट से लोग नागपुर भेजे जाते हैं ;

(३) क्या यह बात सही है कि सरकार की इस कार्रवाई से अन्य यूनिट के सदस्यों में असंतोष है ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई निश्चित नियम बनाने का विचार रखती है ?

श्री महामाया प्रसाद सिन्हा—(१) उत्तर नकारात्मक है।

(२) उत्तर नकारात्मक है।

(३) प्रश्न नहीं उठता है।

(४) नागपुर में प्रशिक्षण के लिए सरकार जिला पदाधिकारियों, आरक्षी महानिरीक्षक, महासमादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी तथा विभिन्न विभागों की राय लेकर अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक सूची बनाती है। उसी सूची में से समय-समय पर चुनाव कर विभिन्न कोर्सों के लिए मनोनयन किया जाता है।

श्री विनोद बिहारी सिन्हा—मैं जानना चाहता हूं कि नागपुर प्रशिक्षण के लिए किन-किन को, किन-किन यूनिटों से और कब भेजा गया ?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—इसकी सूची लम्बी है, अगर आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं।

आवाज—(पढ़ा जाय)।

वह इस प्रकार है—

१। श्री ए०एस० त्रिवेदी, जमादार कोम्राय कमांडर, होमगार्ड्स, चम्पारण।	११ बी०सी०इ०एफ०एफ०	३ जनवरी, १९६४।
२। श्री आर० पी० यादव, जे०सी०सी० होमगार्ड्स, पटना।	११ बी०सी०इ०एफ०एफ०	३ जनवरी, १९६४।
३। श्री पी०पी० पांडे, जमादार, डिस्ट्रिक्ट कोम्राय कमांडर, होमगार्ड, पटना।	१२ बी०सी०इ०एफ०एफ०	३० जनवरी, १९६४।
४। श्री एस० बी० वर्मा, जेम, डिस्ट्रिक्ट कोम्राय कमांडर, होमगार्ड, पटना।	१३ बी०सी०इ०एफ०एफ०	२ अप्रील, १९६४।
५। श्री बी० कुमार, जमादार, बिहार होमगार्ड, रांची।	२४ बी०सी० इ०एफ०एफ०	३ जुलाई, १९६४।
६। श्री शिवशरण चौबे, जमादार, बिहार होमगार्ड, पटना।	२४ बी०सी०इ०एफ०एफ०	३ जुलाई, १९६४।

श्री अम्बिका शरण सिंह—जो मेज पर रखना है वह आप रख दीजिये।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—हम जवाब देने के लिये तैयार हैं। यह सूची बड़ी लम्बी है।

श्री विनोद बिहारी सिन्हा—मेरे पहले सवाल में है कि क्या यह बात सही है कि प्रतिवर्ष अरबन होमगार्ड के सदस्य नागपुर प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं तो उसका जवाब है कि उत्तर नकारात्मक है। अभी कहते हैं कि उसकी लम्बी सूची है तो यह विरोधात्मक जवाब क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—बात यह है कि जो होमगार्ड के सदस्य हैं, वालंटियर हैं उनको हम ट्रेनिंग के लिये नहीं भेजते हैं बल्कि जो ट्रेनिंग पाकर उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं यानी इन्स्ट्रक्टर का काम करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। उनकी सूची हम पढ़ रहे हैं।

श्री विनोद बिहारी सिन्हा—तो पहले प्रश्न का जवाब नकारात्मक नहीं है ?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—होमगार्ड वालंटियर रूरल और अरबन दोनों होते हैं। लेकिन जो हमारे स्थायी स्टाफ होते हैं उनको हम नागपुर ट्रेनिंग के लिये भेजते हैं कि वे ट्रेनिंग पाने के बाद इन्स्ट्रक्टर का काम कर सकें।

श्री कमलदेव नारायण सिंह—हम जानना चाहते हैं कि पटना यूनिट को छोड़कर दूसरे जिले के लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया या नहीं ?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—मुझे जैसी सूचना है रूरल वालंटियर नहीं भेजे जाते हैं ।

श्री कमलदेव नारायण सिंह—जिस कोटि के अधिकारी पटना से भेजे जाते हैं उसी कोटि के अधिकारी बिहार के अन्य जिलों से भेजे जाते हैं या नहीं ?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—इसके लिए अलग से सूचना चाहिए ।

श्री डूमर लाल बैठा—सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को सूची आपने बतलायी है तो मैं जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी व्यक्ति कौन हैं ?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—सरकारी में जैसे हमारे लोक-निर्माण विभाग के स्टाफ हैं और वे ट्रेनिंग लेते हैं और गैर-सरकारी में जो टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं, वे आते हैं ।

*श्री डूमर लाल बैठा—उत्तर में कहा गया है कि नागपुर में प्रशिक्षण के लिये सरकार जिला पदाधिकारियों आरक्षी महानिरीक्षक, महासमादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी तथा विभिन्न विभागों की राय लेकर अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक सूची बनाती है, उसी सूची में से समय-समय पर चुनाव कर विभिन्न कोर्सों के लिये मनोनयन किया जाता है तो ये गैर-सरकारी व्यक्ति कौन हैं ?

अध्यक्ष—गैर-सरकारी व्यक्तियों से क्या मतलब है, इसे स्पष्ट करें ?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—गैर-सरकारी से मतलब साधारणतः प्रोफेसर्स और टीचर्स लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिये बाहर भेजते हैं ।

श्री डूमर लाल बैठा—क्या प्रोफेसर्स होमगार्ड को ट्रेनिंग देते हैं ।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—जी हां । होमगार्ड को ट्रेनिंग देते हैं ।

श्री डूमर लाल बैठा—ये तो बाहर के लोग रहते हैं सिविल लोग जिनको खुद ट्रेनिंग प्राप्त करनी है क्या ये लोग दूसरे को ट्रेनिंग देने जाते हैं ?

अध्यक्ष—अब इस प्रश्न को छोड़ दिया जाय ।

*श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, गैर-सरकारी के संबंध में कुछ ऐसे गैर-सरकारी व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाती है जो लोग ट्रेनिंग देते हैं लेकिन विशेष ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है ।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह--अध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रश्न को छोड़ देने का निर्णय लिया तो फिर माननीय मंत्री क्यों जवाब दे रहे हैं।

छात्र आन्दोलन के मुकदमे की वापसी।

१६। श्री नागेन्द्र झा--क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सरकार ने निर्णय लिया था कि १९६४ से १९६७ के जनवरी तक राज्य भर में छात्र आन्दोलन के सिलसिले में जितने मुकदमें छात्रों पर चलाये गये हैं, उन्हें सरकार वापस ले लेगी;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ने इस दिशा में अभी तक कौन-सी कारंवाई की है ?

श्री महामाया प्रसाद सिन्हा—(१) सरकार ने निर्णय लिया था कि विगत वर्षों में आन्दोलन के संबंध में विद्यार्थियों, राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं एवं अन्य नागरिकों पर जितने मुकदमें चल रहे हों, उन्हें उठा लिया जाय।

(२) विगत वर्षों में आन्दोलन संबंधी अधिकांश मुकदमें या तो उठा लिये गये हैं या खतम हो गये हैं। कुछ मुकदमें अनुसंधान के अन्तर्गत हैं। अनुसंधान जल्द-से-जल्द समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और अनुसंधान समाप्त हो जाने पर आगे की कारंवाई की जायगी।

श्री नागेन्द्र झा---आंदोलन के संबंध में विद्यार्थियों, राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं एवं अन्य नागरिकों पर मुकदमें चल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थियों पर, कितने राजनैतिक व्यक्तियों पर और कितने अराजनैतिक व्यक्तियों पर मुकदमें चल रहे हैं ?

अध्यक्ष—अलग-अलग सूचना दें।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—अलग-अलग सूचना चाहिए।

श्री कृष्णकांत सिंह—ऐसे चीजों के लिये समय दिया जायगा तो प्रश्न पूछने का कोई महत्व नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद---कितने नेचर के केसेज थे जैसे कुछ को डी०एम० ने खत्म कर दिया जिसको सरकार के पास भेजने की आवश्यकता नहीं थी और कुछ ऐसे केसेज थे जैसे लूट या सिरियस नेचर के केसेज हुए जिसको सरकार के पास भेजा गया, उसकी जांच की गई। आप पूछते हैं कि कितने केसेज हैं तो इसकी सूचना नहीं है।